न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 57/2021 G.C.M.S. No. 2021/223 दर्ज दिनांक : 24.08.2021

अपीलार्थी:

1. नेमाराम पुत्र चौथाराम, जाति जाट, निवासी गांव आलावास, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चंपालाल पुत्र अमराराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव आलावास, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 167/2016 बअनवान चंपालाल बनाम नेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री प्रवीण व्यास, श्री नरेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री लक्ष्मण मेघवाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 167/2016 बअनवान चंपालाल बनाम नेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थी चम्पालाल ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौजा आलावास, तहसील सोजत में स्थित खसरा नंबर 381 रकबा 2.5100 किस्म गै.मु. अव्वल स्थित है, जो कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजों के समय के चली आ रही हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा, काश्तसुदा है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी चम्पालाल को आपसी भाई बंटवाडा अनुसार हिस्सेदारी में प्राप्त हुई हैं। समय–समय पर प्रार्थी चम्पालाल ने उपरोक्त कृषि भूमि को उपजाउ बनाने हेतु ट्रैक्टर इत्यादि चलाकर उबड़–खाबड भूमि को समतल करवाया गया है। प्रार्थी चम्पालाल की कृषि भूमि के चारों तरफ पुराना धोरा तथा धोरे पर पुरानी बाड़ की हुई हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 381 की पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 नेमाराम का खेत खसरा नंबर 380 व 379 स्थित है। खसरा नंबर 379 के चिपते ही खसरा नंबर 374 की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें दक्षिणी माठ के सहारे–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

सहारे अप्रार्थी संख्या 1 नेमाराम का दोनों खेत खसरा नंबर 379 व 380 में आना–जाना रहता है तथा दूसरी तरफ खसरा नंबर 279 गै. मु रास्ता है जो रास्ता आलावास गांव से आगे खेतों में आता–जाता है। प्रार्थी चम्पाराम ने गलत कथन किया कि अप्रार्थी के पूर्वज भी खसरा नंबर 374 के सहारे–सहारे आते–जाते रहते हैं और अप्रार्थी नेमाराम को खसरा नंबर 381 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे नया रास्ता कायम करने का हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी नेमाराम को खेत खसरा नंबर 380 व 379 में जाने हेतु रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 381 में ही विद्यमान है व तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2007 को खसरा नंबर 381 से रास्ता खुलवाने का आदेश पारित हो रखा है वह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2016 में मर्ज हो चुका है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर परीक्षण न्यायालय ने खेत खसरा नंबर 381 की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी आड़ में प्रार्थी चम्पालाल ने अप्रार्थी/अपीलांट नेमाराम के खेत खसरा नंबर 380 में आने–जाने का मार्ग अवरूद्ध कर दिया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि तहसीलदार सोजत ने मुकदमा संख्या 01/2005 में दिनांक 23.07.2007 को आदेश पारित कर खसरा नंबर 381 से रास्ता खुलवाया है। आदेश दिनांक 18.05.2005 की अपील रेस्पोंडेन्ट चम्पालाल ने एडीएम पाली में अपील संख्या 12/2007 पेश की थीं, जो खारिज हो गयी हैं। रेस्पोंडेन्ट चम्पालाल की निगरानी संख्या 8413/2007 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से दिनांक 04.01.2012 को खारिज हो गयी हैं। रेस्पोंडेन्ट चम्पालाल की रिट याचिका संख्या 953/2012 दिनांक 06.01.2014 को खारिज हो गयी हैं। रेस्पोंडेन्ट चम्पालाल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डबल बैंच के समक्ष अपील संख्या 461/2014 पेश की गयी, जो दिनांक 23.09.2016 को खारिज हुई हैं। तहसीलदार सोजत का पारित आदेश दिनांक 23.07.2007 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश में मर्ज हो गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों व उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2021 की जानकारी अपीलांट को नहीं रहीं। उसके बाद कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर फैल जाने से घरों में रहने के आदेश हो गये थें। दिनांक 20.07.2021 को अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सोनी से संपर्क किया, तब उन्होंने बताया कि निर्णय हुआ या नहीं हुआ, पता करते हैं। पता करके उन्होंने बताया की निर्णय हो गया है, तो उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 20.07.2021 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांट ने इस निर्णय के संदर्भ में राय लेने हेतु जोधपुर कानाराम गोदारा एडवोकेट से संपर्क किया तब उन्होंने राय दी कि उपखण्ड अधिकारी ने मनमाना आदेश पारित किया और माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश की अवमानना कर उपखण्ड अधिकारी सोजत तत्काल पीठासीन अधिकारी दौलतराम चौधरी ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है नियममित अपील पाली होने की राय दी हैं। अपील प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक खर्चे की व्यवस्था कर जानकारी से यह अपील अंदर म्याद प्रस्तुत है। कोरोना काल के कारण भी अपील अंदर म्याद प्रस्तुत है फिर भी अपील देरी से प्रस्तुत करने की माफी हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2021 द्वारा स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 381 की वर्तमान मौकास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 24.08.2021 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए शपथ पत्र के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से अपीलाधीन आदेश के बाद कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन होने, जिससे अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाने के कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पाई। तत्पश्चात नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया था। जिसकी प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को जानकारी थीं। कोविड–19 का बहाना बनाकर जानबूझकर देरीना अपील पेश की गई हैं। अतः विलंबकाल माफी योग्य नहीं होने से अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।
4. हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2021 का समय कोविड–19 महामारी से प्रभावित काल था तथा विलंब दीर्घकाल नहीं हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी आराजीयात खसरा संख्या 381 में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका आधार मुख्य रूप से यह लिया गया कि रेस्पोंडेंट की आराजी से लगती हुई अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 380 व 379 स्थित है। जिसमें आवागमन के लिए अपीलांट जबरदस्ती रेस्पोंडेंट की आराजी 381 में से रास्ता कायम करने पर उतारू है तथा खसरा संख्या 381 की सीमा पर स्थित माठ आदि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जबकि अपीलांट की आराजी तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 374 से रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट को ऐसा करने से रोके जाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वहीं अपीलांट का मुख्य उज्र यह है कि रेस्पोंडेंट प्रार्थी अपीलाधीन आदेश की आड़ में तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2007 की पालना को रूकवा रहा है। जिससे अपीलांट को सुखाधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि अपीलांट जानबूझकर न तो खुर्द–बुर्द कर रहा है व न ही रास्ता निकालने पर आमादा है।

6. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए आवश्यक तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन व निर्णयन किए बिना तथा अपने विनिश्चय का कारण प्रकट किए बिना नॉन–स्पीकिंग आदेश के रूप में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पहुंच मार्ग के लिए धारा 251 व धारा 251–क के अंतर्गत विशेष रूप से विधिक प्रावधान उपलब्ध है तथा कोई भी प्रभावित खातेदार उक्त विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है तथा उक्त विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन किसी भी दृष्टि से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पारित अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका नहीं जा सकता।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 167/2016 बअनवान चंपालाल बनाम नेमाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.03.2021 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner